UPGK010023842026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1010/2026

रजत साहनी पुत्र बेचू साहनी, उम्र–22 वर्ष, निवासी– तालनवर, थाना– खजनी, जनपद– गोरखपुर।

.... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या– 56/2026

धारा– 69,352,351(3) बी०एन०एस०

थाना– गगहा, जनपद– गोरखपुर।

1– आवेदक/अभियुक्त रजत साहनी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ **उर्मिला** का शपथ पत्र संलग्न किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले की पीड़िता (Victim) की पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से जहां भी पीड़िता का नाम आया है, वहां उसे इस जमानत आदेश में मात्र "पीड़िता" शब्द से संबोधित किया गया है।

2– अभियोजन का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा (पीड़िता) कई वर्षों से रजत निषाद से बात कर रही थी। पीड़िता से रजत निषाद शादी करने के लिए कहता था। पीड़िता से रजत निषाद कई बार जबरन शारीरिक संबंध भी बना चुका है। पीड़िता का अश्लील फोटो व वीडियो भी रखा है। दिनांक 13.12.2025 को रजत निषाद उसके घर आया और पीड़िता की तबियत खराब होने के बाद भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। मना करने पर गाली–गुप्ता व जान माल की धमकी दिया तथा वीडियो व फोटो वायरल कर देने का कहा है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। उसका मामले से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उसने तथाकथित कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। उसको मामले में हैरान व परेशान करने की नियत से साजिशन व रंजिशन फंसा दिया गया है। कथित पीड़िता उम्र से बालिग है तथा अपना अच्छा–बुरा सोचने–समझने में समक्षम है। मामले की वास्तविकता यह है कि मामले की पीड़िता व आवेदक के आपस में जान–पहचान होने के कारण बातचीत होते–होते दोस्ती हो गयी थी तथा पीड़िता आवदक के रंग रुप से आकर्षित होकर उससे शादी करने की जिदु करने लगी, लेकिन आवेदक के घर वाले इस शादी (प्रेम विवाह) के पक्ष में न होने से आवेदक ने पीड़िता को समझाया–बुझाया था कि उसके घर वाले अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वह घर

वालों को समझाने–बुझाने का प्रयास कर रहा है। जिससे नाराज होकर पीड़िता द्वारा उसके विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज करा दिया है। आवेदक कथित पीड़ित के साथ उसकी सहमति से अथवा जबरन कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया है और न ही उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए दिनांक 13.12.2025 को पुनः संबंध बनाकर गाली–गुप्ता व जान माल तथा वीडियो वायरल करने की धमकी ही दिया था। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा (पीड़िता) को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को गाली–गुप्ता देकर जान से मारने की धमकी भी दी गयी। यद्यपि आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, किन्तु उसके द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में आवेदक/ अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है और तद्नुसार जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

5– मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा संबंधित केस डायरी का अवलोकन किया।

6– केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए एवं उसे गाली–गुप्ता देकर जान से मारने की धमकी दी गयी। पीड़िता ने धारा 180 बी०एन०एस०एस० के कथन में बताया गया है कि वह कक्षा 10 तक पढ़ी है। वह अपना भला–बुरा समझने में समर्थ है। वह पिछले दो सालों से रजत निषाद से बातचीत करती थी। वह उससे शादी करने के लिए बोलता था। शादी करने का झांसा देकर वह उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया तथा उसका अश्लील फोटो व वीडियो भी रखा है। इसी बात का फायदा उठाकर दिनांक 13.12.2025 को रजत उसके घर आया व उसकी तबियत खराब होने के बाद भी उसके साथ संबंध बनाया तथा उसे गाली–गुप्ता व जान से मराने की धमकी दिया। पीड़िता ने धारा 183 बी०एन०एस०एस० के कथन में बताया है कि "रजत से मेरी दोस्ती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे। उनके घर वाले मना कर दिए तो हम गुस्से में मुकदमा कर दिए। मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। धमकी भी नहीं दिया है। हम रजत के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। हम उससे शादी करना चाहते हैं। मेरा फोटो, वीडियो नहीं बनाया है। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है।" अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट है कि पीड़िता लगभग 21 वर्ष की बालिग महिला है तथा अपना भला–बुरा सोचने–समझने में सक्षम है। पीड़िता द्वारा अपने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए सशपथ बयान में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। उसका कोई फोटो व वीडियो भी नहीं बनाया गया है। पीड़िता द्वारा स्वयं यह कथन किया गया है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है और व अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती है। ऐसी दशा में जहां तक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इस तर्क का प्रश्न है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया, उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पीड़िता बालिग है एवं अपना भला–बुरा समझने में सक्षम है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक पूर्ववृत प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबंधित प्रकरण मृत्युदण्ड

या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र किता किया जा चुका है तथा वर्तमान में साक्ष्य संकलन की कोई कार्यवाही शेष नहीं है। यहां यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि इस जमानत आदेश में जो भी संप्रेक्षण किए गए हैं, वे मात्र जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक ही सीमित होंगे। उक्त का कोई प्रभाव मामले के गुण–दोष पर नहीं पड़ेगा। ऐसी दशा में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, निरोध अवधि एवं अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार करते हुए न्यायालय की राय में आधार जमानत पर्याप्त हैं। अतः आवेदक/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **रजत साहनी** द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या 56/2026, धारा–69,352,351(3) बी०एन०एस०, थाना– गगहा, जिला– गोरखपुर** के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त **रजत साहनी** द्वारा **रुपये 1,00,000/– (एक लाख रुपए) का व्यक्तिगत बन्धपत्र** तथा समान धनराशि के **दो प्रतिभू** प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसे निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त घटना से अवगत साक्षियों को डरायेगा–धमकायेगा नहीं तथा प्रकरण के विचारण में सहयोग करेगा।
2. विचारण के दौरान अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा मामले के विचारण में विलम्ब कारित नहीं करेगा।
3. विचारण के दौरान साक्षियों के उपस्थित होने पर अभियुक्त अनावश्यक स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर मामले को विलम्बित नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

इस आदेश की एक कापी आज ही ई–मेल द्वारा संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को प्रेषित की जावे।

दिनांकः 17.03.2026

(मनोज कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),गोरखपुर।
J.O.Code– UP3835

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.03.17 16:46:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court